

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं भू-अभिलेख अधिकारी, चूरु
प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प राणासा

—: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी दादर व भूअ.नि. कस्बा चूरु की रिपोर्ट तथा तहसीलदार चूरु/नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम बालरासा तंवरान तहसील चूरु व जिला चूरु की जमाबन्दी सम्वत् 2071-2074 में खाता संख्या 138 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	बालरासा तंवरान	138	भगवानसिंह पुत्र गोपालराम हिस्सा 1/4 जाति राजपूत निवासी कस्बा बिसाऊ तहसील चूरु खोर्दंग	भगवानसिंह पुत्र गोपालसिंह हिस्सा 1/4 जाति राजपूत निवासी कस्बा बिसाऊ तहसील चूरु खोर्दंग

11/10/21
पीठासीन अधिकारी
भू-अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.)

क्रमांक :- 87/2021

दिनांक :- 11-10-2021

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, चूरु को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री भगवानसिंह पुत्र गोपालसिंह जाति राजपूत को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली। निवासी बिसाऊ

11/10/21

11.10.2021

11/10/21
भू-अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.)